श्री राजेन्दर प्रसाद का पार्श्वचित्र (प्रोफाइल)

श्री राजेन्दर प्रसाद वर्ष 1971 में सोनीपत के हिन्दु कॉलेज से स्नातक है। 1974 में दिल्ली विष्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद से अगस्त, 1975 में वकालत शुरू की। उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, मैक्ट, रेवेन्यू और लेबर लॉ की प्रैक्टिस की एव बीएसटी गनौर रंग उद्योग जैसे जिला और राज्य स्तर के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के ट्रेड तथा लेबर यूनियन के लिए अपनी सेवाएँ दी। उन्होंने प्रशासन के समक्ष गरीब, वंचित समाज के नीचे तबके के लोगों के अधिकारों और हक के लिए जोरदार आवाज उठाई तथा समुचित लीगल फोरम के समक्ष कानूनी सहायता भी दिया।

वर्ष 1981 में उनका चयन हरियाणा जुडिषियल सेवा के लिए हो गया और उन्होंने सब जज कम जुडिषियल मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन किया। फरवरी, 1988 में हरियाणा हाइयर जुडिषियल सर्विस में उनकी प्रोन्नति हुई तथा 06.03.3009 तक आडिषनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेषन जज के रूप में पदस्थापित हुए। जुडिषियल सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, कुरूक्षेत्र के प्रेसीडेंट के रूप मंे उनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर वे 05.03.2014 तक रहे। कुछ समय के लिए उन्हेंने प्रेसीडेंट डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिसप्यूट रेड्रेसल फोरम, करनाल में भी अपनी सेवाएँ दी। अपनी जस्टिस, आनेस्टी और इम्पर्शियली 35 वर्षों से अधिक की सेवा जुडिषियल डिपार्टमेंट में सेवा दी। अपने जुडिषियल कैरियर के दौरान पूरे हरिणणा में विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएँ दी। आपेन सेवा अवधि के दौरान उन्हें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अनेकों प्रषंसा-पत्र मिला है। नेषनल इंस्टीच्यूट ऑफ क्रिमिनॉलजी और फारेसिंक साईंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्रिमिलल जस्टिस सिस्टम (2003 तथा 2006) में क्रिमिनॉलजी तथा फोरेंसिक साईंस (1994), मानव अधिकार में कोर्स पूरा कर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है।

डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल फोरम के प्रेसीडेंट के रूप में उन्हें स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीषन, हरियाणा, पंचकुला द्वारा वर्ष 2011 में विशिष्ट सेवा प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। पंचकुला में दिनांक- 09.01.2013 को आयोजित इनफोर्समेंट ऑफ

कंज्यूमर एक्ट, 1986 के सिल्वर जुबिली सेलिब्रेषन के अवसर पर उन्हें विशिष्ट सेवा प्रमाण-पत्र पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिष ए.के.सिवरी द्वारा दिया गया। 2015 में, उन्हें स्टूडेंट इलेक्षन 2015 का न्यायिक जाँच के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखंड) द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 17.11.2015 को सीएमपीडीआई के बोर्ड में गैर-सरकारी अंशकालिक निदेषक नियुक्त किया गया।

***